

अनुदान संख्या 1 – कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
GRANT No. 1 - DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND
FARMERS' WELFARE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	46586,30,00		
पूरक	Supplementary	21178,69,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-21192,27,04
		67764,99,00	46572,71,96	-21192,27,04
				20950,75,00
पूँजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	113,70,00		
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-102,93,25
		113,71,00	10,77,75	-102,93,25
				93,67,49

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2119227.04 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹2117869.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2119227.04 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2117869.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 31 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"			
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry			
मू.	O.	1472065.00		
पू.	S.	1979163.00	2228818.61	2211239.55
पु.	R.	-1222409.39		-17579.06
मुख्य शीर्ष "2416"	Major Head "2416"			
कृषि वित्तीय संस्थाएं	Agricultural Financial Institutions			
मू.	O.	1358983.00		
			1150066.10	1149565.70
पु.	R.	-208916.90		-500.40
मुख्य शीर्ष "2425"	Major Head "2425"			
सहकारिता	Co-operation			
मू.	O.	11700.00		
पू.	S.	1.00	14388.00	13778.75
पु.	R.	2687.00		-609.25
मुख्य शीर्ष "2435"	Major Head "2435"			
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes			
मू.	O.	102894.00		
			52696.12	50828.18
पु.	R.	-50197.88		-1867.94
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	460690.00		
पू.	S.	138703.00
पु.	R.	-599393.00		..

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1234792.00			
पू.	S.	1.00	1218528.37	1215574.74	-2953.63
पु.	R.	-16264.63			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	1563.00			
पू.	S.	1.00	629.80	613.67	-16.13
पु.	R.	-934.20			

(I) ₹599995.04 लाख का प्रावधान (₹138705.04 लाख के पूरक अनुदान सहित) उन्नचास शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹599742.64 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹599995.04 lakhs (including supplementary grant of ₹138705.04 lakhs) remained wholly unutilised under forty nine heads; of these ₹599742.64 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(A) Major Head "2552" -

(क) "फसल कृषिकर्म - अन्य व्यय - आय समर्थन स्कीम" - ₹87300.93 लाख;

(a) "Crop Husbandry - Other Expenditure - Income Support Scheme" - ₹87300.93 lakhs;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" - "आय समर्थन स्कीम" - ₹33200.00 लाख; और

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Income Support Scheme" - ₹33200.00 lakhs; and

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - आय समर्थन स्कीम" - ₹17200.00 लाख।

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Income Support Scheme" - ₹17200.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूरक प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Supplementary provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- | | |
|--|---|
| (घ) “फसल कृषिकर्म – विस्तार और कृषिकों का प्रशिक्षण – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹6000.00 लाख (₹1000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित); | (d) “Crop Husbandry - Extension and Farmers’ Training - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹6000.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1000.00 lakhs); |
| (ङ) “फसल कृषिकर्म – कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹2500.00 लाख; | (e) “Crop Husbandry - Agricultural Economics and Statistics - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹2500.00 lakhs; |
| (च) “फसल कृषिकर्म – बीज – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹2500.00 लाख; | (f) “Crop Husbandry - Seeds - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹2500.00 lakhs; |
| (छ) “फसल कृषि कर्म – खाद और उर्वरक – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹13106.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); | (g) “Crop Husbandry - Manures and Fertilizers - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹13106.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh); |
| (ज) “फसल कृषि कर्म – कृषि इंजीनियरी – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹4000.00 लाख; | (h) “Crop Husbandry - Agriculture Engineering - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹4000.00 lakhs; |
| (झ) “फसल कृषि कर्म – वाणिज्यिक फसलें – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹9314.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); | (i) “Crop Husbandry - Commercial Crops - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹9314.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh); |
| (ञ) “फसल कृषि कर्म – तिलहन का विकास – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹2632.00 लाख; | (j) “Crop Husbandry - Development of Oilseeds - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹2632.00 lakhs; |
| (ट) “फसल कृषि कर्म – बागबानी और सब्जी फसलें” – | (k) “Crop Husbandry - Horticulture and Vegetable Crops” - |

- (i) “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूँद में अधिक फसलें (पीएमकेएसवाई)” ₹25192.00 लाख;
- (ii) “हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” ₹15257.01 लाख (₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (ठ) “फसल कृषि कर्म – फसल बीमा – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” – ₹69934.00 लाख;
- (ड) “फसल कृषि कर्म – अन्य व्यय – हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹24512.00 लाख;
- (ढ) “सहयोग – अन्य सहकारिताओं को सहायता – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹986.00 लाख;
- (ण) “अन्य कृषि कार्यक्रम – विपणन सुविधाएं – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹4001.00 लाख;
- (त) “भारतीय रिजर्व बैंक – किसानों को अल्पकालीन ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी” – ₹103199.00 लाख;
- (थ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –
- (i) “हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹26087.00 लाख;
- (ii) “हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹6338.00 लाख;
- (iii) “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूँद में अधिक फसलें (पीएमकेएसवाई)” – ₹6808.00 लाख;
- (i) “Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)” - ₹25192.00 lakhs;
- (ii) “Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹15257.01 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.01 lakh);
- (l) “Crop Husbandry - Crop Insurance - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (NCIP)” - ₹69934.00 lakhs;
- (m) “Crop Husbandry - Other Expenditure - Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹24512.00 lakhs;
- (n) “Cooperation - Assistance to Other Cooperatives - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹986.00 lakhs;
- (o) “Other Agricultural Programmes - Marketing Facilities - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹4001.00 lakhs;
- (p) “Reserve Bank of India - Interest Subsidy for Short Term Credit to Farmers” - ₹103199.00 lakhs;
- (q) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (i) “Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹26087.00 lakhs;
- (ii) “Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹6338.00 lakhs;
- (iii) “Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crops (PMKSY)” - ₹6808.00 lakhs;

(iv) “भारतीय रिजर्व बैंक” – ₹24918.00 लाख;	(iv) “Reserve Bank of India” - ₹24918.00 lakhs;
(v) “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” – ₹32470.00 लाख;	(v) “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (NCIP)” - ₹32470.00 lakhs;
(द) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –	(r) “Tribal Area Sub-Plan” -
(i) “हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹5150.00 लाख	(i) “Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹5150.00 lakhs;
(ii) “हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹42456.30 लाख (₹1.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।	(ii) “Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹42456.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.30 lakhs);
(iii) “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूंद में अधिक फसलें (पीएमकेएसवाई)” – ₹8000.00 लाख;	(iii) “Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crops (PMKSY)” - ₹8000.00 lakhs;
(iv) “भारतीय रिजर्व बैंक” – ₹12900.00 लाख; और	(iv) “Reserve Bank of India” - ₹12900.00 lakhs; and
(v) “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” – ₹13181.00 लाख।	(v) “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (NCIP)” - ₹13181.00 lakhs.

उपर्युक्त चौबीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूंद में अधिक फसल” – ₹600.00 लाख – प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “2401” – “बागबानी और सब्जी फसलें – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹71005.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹113.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके

Provisions under the above twenty four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Scheme - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)” - ₹600.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(II) Under Major Head “2401” - “Horticulture and Vegetable Crops - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - the original provision of ₹71005.00 lakhs

बढ़ाकर ₹71118.00 लाख का दिए गया। तथापि, ₹22011.14 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और कार्यान्वयन एंजेसियों से उपयोगी प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2401” के अंतर्गत प्राप्त किए गए पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दर्शायी गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(का) “कृषि इंजीनियरिंग – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹7738.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹59161.80 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹66899.80 लाख कर दिए गया जो, तथापि ₹1729.50 लाख की सीमा तक प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्यान्वयन एंजेसियों से उपयोगी प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) “अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना – आय समर्थन स्कीम” – ₹298800.00 लाख का पूरक प्रावधान ₹213931.04 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – आय समर्थन स्कीम” – ₹154800.00 लाख का पूरक प्रावधान ₹115555.56 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूरक प्रावधान आदर्श आचार संहिता की वजह से राज्यों द्वारा योग्य लाभार्थियों के डाटा अपलोडिंग न किए जाने के कारण दर्शायी गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घा) “अन्य व्यय – आय समर्थन स्कीम” – ₹1336625.92 लाख का पूरक प्रावधान ₹864514.37 लाख की सीमा तक आदर्श आचार संहिता की वजह से राज्यों द्वारा योग्य

was augmented to ₹71118.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹113.00 lakhs. However, there was a saving of ₹22011.14 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalization of proposals, availability of unspent balance of previous years and non-receipt of utilization certificates from the implementing agencies.

(III) Supplementary grants obtained under Major Head “2401” remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each: -

(A) “Agricultural Engineering - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - the original provision of ₹7738.00 lakhs was augmented to ₹66899.80 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹59161.80 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1729.50 lakhs - due to non-finalization of proposals, non-filling up of vacant posts and non-receipt of utilization certificates from the implementing agencies.

(B) “Special Component Plan for Schedules Castes - Income Support Scheme” - the supplementary provision of ₹298800.00 lakhs remained unutilised to the extent of ₹213931.04 lakhs; and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Income Support Scheme” - the supplementary provision of ₹154800.00 lakhs remained unutilised to the extent of ₹115555.56 lakhs.

Supplementary provision under the above two heads remained unutilised to the extent shown against each due to non-uploading of data of eligible beneficiaries by States owing to Model Code of Conduct.

(D) “Other Expenditure - Income Support Scheme” - the supplementary provision of ₹1336625.92 lakhs remained unutilised to the extent

लाभार्थियों के डाटा को अपलोड न किए जाने एवं अपूर्ण ब्यौरे की वजह से लाभार्थी खातों में लाभ क्रेडिट न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष “2401” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “पौध सुरक्षा – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹5853.12 लाख की बचत (₹22150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति होने, लीज अनुबंधों को अंतिम रूप न दिए जाने और अंतर्राष्ट्रीय संकाय अतिथि गृह और जैव नियंत्रण प्रयोगशाला के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) “वाणिज्यिक फसलें – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹1797.32 लाख की बचत (₹32862.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने एवं प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) “विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹1212.19 लाख की बचत (₹27088.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, कार्यान्वयन एजेंसियों सहित पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और एजेंसी विभागों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(घा) “बागबानी और सब्जी फसलें – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूंद में अधिक फसलें” – ₹1226.65 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने एवं परामर्शदाताओं को न रखे जाने के कारण हुई।

(ङ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹9684.69 लाख की बचत (₹23576.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने एवं कार्यान्वयन एजेंसियों से

of ₹864514.37 lakhs - due to non-uploading of data of eligible beneficiaries by States owing to Model Code of Conduct and non-credit of benefits in beneficiary account owing to incomplete details.

(IV) Under Major Head “2401” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Plant Protection - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹5853.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22150.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, non-finalisation of lease agreements and non-finalization of proposals for construction of International Faculty Guest House and construction of Bio-Control Laboratory.

(B) “Commercial Crops - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹1797.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32862.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalization of proposals.

(C) “Extension and Farmers' Training - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹1212.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27088.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less proposals, availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies and requirement of less funds by agency departments.

(D) “Horticulture and Vegetable Crops - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)” - saving of ₹1226.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals and non-engagement of consultants.

(E) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹9684.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23576.00 lakhs) was due to receipt of

पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

less proposals and availability of unspent balance of previous years with implementing agencies.

(चा) “अन्य व्यय” –

(F) “Other Expenditure” -

(क) “हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹694.32 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों का अनुमोदन न किए जाने/अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) “Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹694.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-approval/non-finalization of proposals.

(ख) हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹20715.81 लाख की बचत (₹31000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और निगरानी मूल्यांकन एवं अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) “Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - saving of ₹20715.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals/non-finalization of proposals and requirement of less funds for monitoring evaluation and other administrative expenses.

(V) मुख्य शीर्ष “2416” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(V) Under Major head “2416” - savings occurred under the following heads: -

(का) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – किसानों को अल्पकालीन ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी” – ₹149932.90 लाख की बचत (₹226791.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Interest Subsidies for Short Term Credit to Farmers” - saving of ₹149932.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹226791.00 lakhs); and

(खा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – किसानों को अल्पकालीन ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी” – ₹62477.90 लाख की बचत (₹109761.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) “Tribal Area Sub-Plan - Interest Subsidy for Short Term Credit to Farmers” - saving of ₹62477.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹109761.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(VI) मुख्य शीर्ष “2435” – “विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(VI) Under Major Head “2435” - “Marketing and Quality Control” - savings occurred under the following heads: -

(का) “विपणन सुविधाएं – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹39944.57 लाख की बचत (₹87124.00 लाख के

(A) “Marketing Facilities - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹39944.57 lakhs

कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, कम दौरे किए जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों से अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹9161.38 लाख की बचत (₹11700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹2959.87 लाख की बचत (₹4070.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई:-

(का) “केंद्रीय सहायता/शेयर – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूंद में अधिक फसलें” – ₹47306.48 लाख की बचत (₹271908.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(क) “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूंद में अधिक फसलें” – ₹20215.29 लाख की बचत (₹59592.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और लाभार्थी ब्यौरे की मांग की वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹87124.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposals, less tours undertaken and non-receipt of requisite documents from the implementing agencies.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹9161.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11700.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹2959.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4070.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(VII) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Scheme” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)” - saving of ₹47306.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹271908.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies and non-finalization of proposals.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)” - saving of ₹20215.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹59592.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and requirement of less funds owing to want of beneficiary details.

(ख) “हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹17016.54 लाख की बचत (₹100328.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(b) “Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹17016.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100328.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹440.31 लाख की बचत हुई जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 55 प्रतिशत थी।

(VIII) Under one head saving of ₹440.31 lakhs occurred constituting 55 percent of the total sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹52733.57 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि जुलाई, 2018 और फरवरी, 2019 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1979163.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

2.(I) The above savings were partly (₹52733.57 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining Supplementary Grant of ₹1979163.00 lakhs in July, 2018 and February, 2019 under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष “2401” –

(A) Major Head “2401” -

(क) “बीज – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹987.85 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹856.20 लाख था।

(a) “Seeds - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹987.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹856.20 lakhs.

(ख) “खाद और उर्वरक – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹10158.75 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹9507.16 लाख था।

(b) “Manures and Fertilizers - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹10158.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹9507.16 lakhs.

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹8056.77 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹7404.50 लाख था।

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹8056.77 lakhs. Actual excess, however, was ₹7404.50 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “2425” – “अन्य सहकारिताओं को सहायता – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹2415.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹1997.75 लाख था।

(B) Major Head “2425” - “Assistance to Other Cooperatives - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹2415.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1997.75 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” –

(C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Scheme” -

(क) “केंद्रीय सहायता/शेयर – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹3706.61 लाख। वास्तविक

(a) “Central Assistance/Share - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹3706.61

अधिक व्यय, तथापि ₹3524.60 लाख था।

lakhs. Actual excess, however, was ₹3524.60 lakhs.

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹27408.59 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹26669.16 लाख था।

(b) “Tribal Area Sub-Plan - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - ₹27408.59 lakhs. Actual excess, however, was ₹26669.16 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष “2416” – भारतीय रिजर्व बैंक – किसानों को अल्पकालीन ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी – ₹2993.50 लाख का अधिक व्यय (₹1022431.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(A) Major Head “2416” - “Reserve Bank of India - Interest Subsidies for Short Term Credit to Farmers” - excess of ₹2993.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1022431.00 lakhs);

(घा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” –

(B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Scheme” -

(क) “केंद्रीय सहायता/शेयर – हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹23967.72 लाख का अधिक व्यय (₹210198.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(a) “Central Assistance/Share - Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - excess of ₹23967.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹210198.00 lakhs);

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹6098.79 लाख का अधिक व्यय (₹54402.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(b) “Special Component Plan for Schedules Castes - Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - excess of ₹6098.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54402.00 lakhs);

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(c) “Tribal Area Sub-Plan” -

(i) “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूंद में अधिक फसलें” – ₹1185.95 लाख का अधिक व्यय (₹26400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(i) “Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)” - excess of ₹1185.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26400.00 lakhs); and

(ii) “हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹3602.13 लाख का अधिक व्यय (₹28350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(ii) “Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - excess of ₹3602.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28350.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹417.91 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of ₹417.91 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	Head	
मुख्य शीर्ष “4401” फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4401” Capital Outlay on Crop Husbandry	
मू.	O.	10871.00
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-8968.49

(I) ₹399.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) “पौध सुरक्षा – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹7660.77 लाख की बचत (₹7800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन न होने के कारण हुई।

(III) “कृषि इंजीनियरिंग – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹1952.69 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवासीय क्वार्टर्स की मरम्मत और नवीकरण के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा एजेंसी विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹399.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under “Plant Protection - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹7660.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7800.00 lakhs) was due to non-approval of proposals for procurement.

(III) Under “Agricultural Engineering - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹1952.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals of repair and renovation of residential quarters and requirement of less funds by agency department.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹416.69 की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 82 प्रतिशत थीं।

(IV) Under one head saving of ₹416.69 lakhs occurred constituting 82 percent of the sanctioned provision.
